मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित नदी सुखरो में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 21.10.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान पनियाली वन विश्राम भवन, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नदी सुखरो, कोटद्वार में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल की अध्यक्षता में पनियाली वन विश्राम भवन, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 11.00 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा सुखरो नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व टाईम्स आफ इण्डिया के दिनांक 21.09.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी, जिसमें विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के

माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि डा0 वी0एन0 सिंह द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 29.02 है0 है। जो कि ग्राम रेंज कोटद्वार निकट ग्राम बलभद्रपुर, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री सिंह द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 1.79 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में स्थित नदी सुखरो में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है–

1. **श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि सुखरो नदी में खनन न होने से नदी का स्तर गांव की जमीन के स्तर से ऊँचा हो गया है, जिससे बाढ़ का पानी गांव में आ जाता है तथा कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य गांव की जमीन से 50 मीटर दूरी पर हो एवं नदी के बीचोबीच होना चाहिए एवं नदी से गांव की ओर जाने वाले रास्तों को बन्द किया जाये जिससे नदी का पानी गांव की तरफ न बढ़ सके। उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में खनन कार्य बहुत आवश्यक है एवं ग्रामसभा खनन कार्य का समर्थन करते हैं।

2. **श्री रमेश टम्टा, निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा आयोजित लोकसनुवाई से प्रसन्ता व्यक्त की गयी और कहा गया कि नदी का स्तर गांव की जमीन के स्तर से ऊँचा हो गया है, जिससे सुखरो नदी से गांव में बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिये खनन जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य गांव से 200 मीटर दूरी पर हो। समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा आयोजित लोक सुनवाई का स्वागत किया गया।

3. **श्री विजय नारायण सिंह, कोटद्वार** द्वारा कहा गया कि इस आयोजित लोकसुनवाई का सम्बन्ध सुखरो नदी से है, किन्तु इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि कोटद्वार क्षेत्र में अन्य नदियों में भी खनन कार्य शीघ्र ही होना चाहिए, जिससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी एवं अवैध खनन पर रोक लगेगी और क्षेत्र में बाढ़ की संभावना कम हो जायेगी। खनन खुलने से ग्रामवासियों को फायदा होगा।

4. **श्री दर्शन सिंह रावत, कोटद्वार** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यह बहुत अच्छी बात है कि इस लोक सुनवाई में लोगों की राय ली जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि नदी में खनन न होने से नदियों का स्तर गांव की जमीन के स्तर से ऊँचा हो गया है, जिससे कृषि भूमि का क़टाव हो गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन–प्रशासन द्वारा पूर्व में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सुखरो, मालन एवं खो नदी में चुगान कार्य प्रारम्भ होना चाहिए और ग्रामवासियों को खनिज समाग्री में छूट मिलनी चाहिए।

5. **श्री वी0डी0 नवानी, कोटद्वार** द्वारा कहा गया कि जहां तक खनन का प्रश्न है तो क्षेत्र की पर्यावरणीय भौगोलिक स्थिति नाजुक है और हर परिस्थिति में पहाड़ का टूटना होना ही है। हम पहाड़ को टूटने से कम कर सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते।

लिहाजा नदी के तल का स्तर गांव के स्तर से ऊँचा हो गया है। इसलिये खनन होना आवश्यक है। यदि सरकार यह खनन नहीं करती है तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहां रेवेन्यु से सरकार चलती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से रायल्टी जरूर लेनी चाहिए, व्यक्तिगत मकान बनाने हेतु खनिज सामग्री के लिये भी रायल्टी देनी होगी, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि 12 महीने नदी में चुगान कार्य होना चाहिए।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त चुगान कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं चुगान कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि सुखरो नदी एवं मालन नदी में चुगान का कार्य वैज्ञानिक तरीकों से किया जायेगा और यहां उपस्थित जन समुदाय भी चुगान कार्य के पक्ष में है।

अन्त में उक्त आपत्तियों/सुझावों/प्रश्नों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03 सैट
2. डी0वी0डी0 – 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका – 03 सैट

(डा0 अजीत सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
यू0ई0पी0पी0सी0बी0,
देहरादून

(सी0एस0 भट्ट)
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

लोक सुनवाई, दिनाँक: 21/10/14
समय: 11:00 बजे (A.M.)

Date ______
Page ______

सुखरौ नदी जनपद पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार में वन विकास निगम द्वारा चुगान/खनन हेतु दिनाँक 21/10/2014 समय 11:00 प्रातः स्थान पनियाली विश्राम गृह (भवन) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका

क्रम संख्या	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
1-	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल		
2.	श्री नीतीशमणि त्रिपाठी	DFO, लैंसडाउन		
3.	श्री एस.पी.एस रावत	क्षेत्रीय प्रबन्धक गढ़वाल क्षेत्र		
4.	श्री गोपालराम बिनवाल	SDM, कोटद्वार		21/10/14
5.	श्री रतनपाल	प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, कोटद्वार	9568003216	21/10/14
6.	डा० अजीत सिंह (ASO)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	9411178364	
7.	संजय कुमार (DEO)	-do-	9675342242	
8.	श्री हरि सुधारावत	खण्ड वि० अ० दुगड्डा		
9.	एम.एस.रावत	अपर मुख्य अधिकारी		